5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

Appeal/09-2610-PDR/2015

रोहिणीदेवी पति रमेशचंद्र देव जाति ब्राम्हण
निवासी ग्राम खेडा तह0 बदनावर जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– रमेंशचंद्र पिता किशोरीलाल माथुर
2– देवेन्द्र पिता किशोरीलाल माथुर
3– विजय कुमार फौत वारीसान :–
अ– प्रमिला माथुर पति विजय कुमार माथुर
ब– प्रथमेश कुमार पिता विजय कुमार माथुर
स– कु.गौरवी पिता विजय कुमार माथुर
द – कु. इति पिता विजय कुमार माथुर
अज्ञान पालनकर्ता माता प्रमिला पति विजय कुमार माथुर
निवासी ग्राम खेडा तह0 बदनावर जिला धार
4– प्रदीप कुमार पिता किशोरीलाल माथुर
5– रमेशचंद्र पिता मल्हारराव देव ब्राम्हण
निवासी ग्राम खेडा तह0 बदनावर जिला धार

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंता विनम्रता से अर्ज है कि मूल प्रकरण के प्रार्थी जो इस निगरानी के विपक्षीगण है उन्होने व जीवित अवस्था में विजय कुमार ने जो बाद में फौत हो गये है उन्हे मालूम है कि उनकी भूमि जो वे कहते है उनकी भूमियां सरकारी कांकड से लगी हुई है जिसमें वे पूर्व के समय से आवागमन कर रहे है वे रास्ते के चिन्ह मिटाने की नियत से बिना अधिकार के डिस्टर्ब करने लगे तो जल संसाधन विभाग बदनावर ने कार्यवाही की तो यह बात संज्ञान मे थी उसे छिपाकर दबाकर हमारी पीयत की निजी जमीन में हकंत की जमीन में आधी अधुरी बात बताकर नवीन मार्ग चाहा जो विधि से वे पा सकते नही थे मौके के विपरीत आज्ञा होकर जिसे हमने चेलेज किया। निगरानी कोर्ट ने

(2)

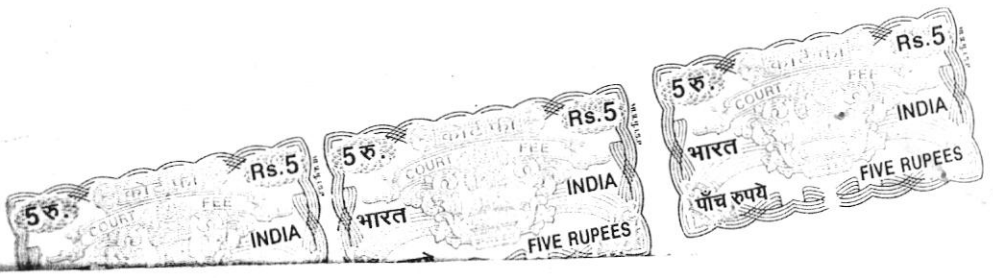

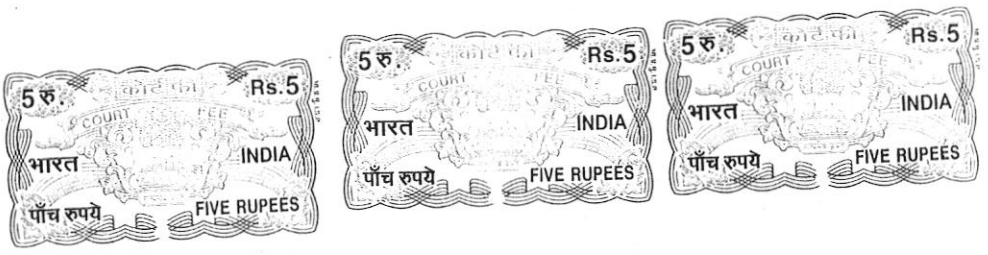

याने अपर कलेक्टर महोदय धार ने तहसीलदार बदनावर की आज्ञा के संबंध में जो निगरानी राजस्व प्रकरण क्रमांक 47/2009–10 में आज्ञा दिनांक 21.03.2010 को दी उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि मूल प्रकरण में प्रार्थीगण देवेन्द्र कुमार आदि मूल प्रकरण का निराकरण दो माह में करावे यह निर्देश होते हुए दो माह तक व आज तक कोई प्रमाण मूल प्रकरण के प्रार्थीगण ने पेश नही किया ऐसी दशा में अंतरिम आज्ञा अर्थहिन हो जाती है 30.12.2005 के बाद जो अर्ज 25.02.2009 को दी याने चार वर्ष बाद व आज दिनांक तक 30.12.2005 के बाद प्रकरण तहसील में पहंचने के बाद कोई साक्ष्य पेश नही की न शपथ पत्र सीपीसी मुजब पेश किया ऐसी दशा में मूल आज्ञा अर्थहिन हो जाती है नानकम्पलाईस आफ दी आर्डर के कारण मूल प्रकरण के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वमेव अपास्त हो जाता है अतः वे अभी भी प्रोसिड हो रहे है के कारण अर्थहिन हो गई है अतः अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण क्रमांक185/2009–10 में आज्ञा दिनांक 16.04.2015 के विरूद्ध यह निगरानी पेश है नकल के दिन मुजरा जाते व क्षमा की अर्जी के साथ यह निगरानी निम्न आधारो पर नकल के दिन मुजरा जाते कानून सम्मत सादर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2610-पीबीआर/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-8-2018	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेडा तहसील बदनावर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 2350 की मेढ़ से होकर अनावेदकगण के आने-जाने का रास्ता आवेदिका द्वारा अवरूद्ध किये जाने के कारण प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाने हेतु अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, बदनावर जिला धार के समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 131 एवं 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त दिनांक 30-12-2005 को अंतरिम रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया, जिसका पालन आवेदिका द्वारा नहीं किये जाने पर अनावेदकगण द्वारा आदेश का पालन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 25-2-2009 को आदेश पारित कर अन्तरिम आदेश दिनांक 30-12-2005 का पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31-3-2010 को एवं अपर आयुक्त द्वारा 16-4-15 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, किन्तु अनावेदकगण, आवेदिका के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से नवीन मार्ग की मांग कर रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आज तक प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया गया है और न ही अनावेदकगण द्वारा प्रकरण के अंतिम निराकरण हेतु कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं । ऐसी स्थिति में अंतरिम आदेश अर्थहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है । 3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश के निगरानी निरस्त कर दो माह में संहिता	

(4)

की धारा 131 के आवेदन पत्र का निराकरण किये जाने के संबंध में जो निर्देश दिये गये हैं, वह उचित है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है । अतः तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत तीसरी निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं नहीं होने निगरानी निरस्त की जाती हे । दर्शित परिस्थिति में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । तहसील न्यायालय को दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष